



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072024-255613  
CG-DL-E-20072024-255613

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2744]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946

No. 2744]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

**का.आ. 2881(अ).**—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में कोचि-कूटनाड-बेंगलोर-मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962का50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिस को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, होटल अश्व पार्क, 4<sup>th</sup> फ्लोर, स्टील प्लांट मेन रोड, रेड्डीपट्टी, सेलम, तमिलनाडु - 636302 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन  
(केकेबीएमपीएल)  
अनुभाग: कृष्णागिरी से सेलम  
राज्य: तमिलनाडु

अनुसूची				
राज्य: तमिलनाडु				
ज़िला	तहसील/तालुक	गांव	सर्वे संख्या	(हेक्टेयर-आर-वर्गमीटर)
1	2	3	4	5
सेलम	ओमलूर	एम् सेट्टीपट्टी	80/3A1	0.01.90
सेलम	कडयमपट्टी	दाससमुद्रम	65/2B2A	0.02.00

[फा. सं. -एल-14014/8/2023-जीपी-II(ई-46819)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2024

**S.O. 2881(E).**—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline in the State of Tamil Nadu, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited.

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the Notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to **Competent Authority, GAIL (India) Limited, Hotel Ashwa Park, 4<sup>th</sup> Floor, Steel Plant Main Road, Near Junction, Reddipatti, Salem, Tamil Nadu - 636302.**

**KOCHI-KOOTTANAD-BANGALORE-MANGALORE PIPELINE**

**(KKBMPPL)**

**Section: Krishnagiri to Salem**

**State: Tamil Nadu**

SCHEDULE				
State: Tamil Nadu				
District	Tehsil/Taluk	Village	Survey No.	(Hect. - Are -Sq.Mtrs)
1	2	3	4	5
Salem	Omalur	M Settippatti	80/3A1	0.01.90
Salem	Kadayampatti	Dasasamudram	65/2B2A	0.02.00

[F. No. L- 14014/ 8 /2023-GP-II)(E-46819)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.